"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 706] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2020 — पौष 10, शक 1942

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 26 अगस्त 2020

अधिसूचना

कमांक एफ 20–72/2011/11/(6).— छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3,4,5, एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में 15 बिन्दुओं को उल्लेखित विभाग की सूची से विलोपित किया जाना है।

पूर्व अधिसूचित छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 को जारी अधिसूचना में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से निम्नानुसार 15 बिन्दुओं को विलोपित कर अधिसूचित करने हेतु :–

क्र	बिन्दु क्र.	छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत प्रदाय की जाने वाली सेवाएं	विलोपित किये जाने कारण
1	2	3	4
1.	(1)	ई. एम. पार्ट–1 अभिस्वीकृति जारी करना	केन्द्र सरकार द्वारा ई.एम.पार्ट–1 एवं ई.एम. पार्ट–2 समाप्त कर दी गई है तथा राज्य शासन द्वारा भी जानकारी संकलित नहीं की जा रही है। अतः ई.एम.पार्ट–1 एवं ई.एम.पार्ट–2 को लोक सेवा गारंटी अधिनियम की सूची से विलोपित किया जाना प्रस्तावित है।
2.	(2)	ई.एम.पार्ट–2 अभिस्वीकृति जारी करना	
3.	(14)	प्रवेश कर भुगतान से छूट स्वीकृति	जीएसटी लागू होने के दिनांक 1 जुलाई, 2017 से प्रभावहीन हो चुका है। अतः इसे भी उक्त सूची से विलोपित किया जाना प्रस्तावित है।
4.	(26)	केन्द्रीय विक्रयकर में छूट स्वीकृति	जीएसटी लागू होने के पश्चात् अप्रासंगिक होने के कारण विलोपित किये जाने योग्य है।
5.	(28)	मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान कर वितरण	उपरोक्त सभी सेवाएं अनुदान वितरण संबंधी है तथा बजट के अभाव में जिला कार्यालयों द्वारा समय–सीमा में वितरण की कार्यवाही संपादित
6.	(29)	मार्जिन मनी अनुदान का वितरण	
7.	(30)	ब्याज अनुदान का वितरण	

8.	(31)	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान का वितरण	नहीं किये जाने के कारण वितरित प्रकरणों में लंबित दर्शित होता है, जो कि जिला कार्यालयों के नियंत्रण में नहीं होता है।
9.	(32)	परियोजना प्रतिवेदन अनुदान का वितरण	
10.	(33)	गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान का वितरण	
11.	(34)	तकनीकी पेटेन्ट अनुदान का वितरण	
12.	(35)	प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान का वितरण	
13.	(36)	विकलांग(निःशक्त) रोजगार अनुदान का वितरण	
14.	(37)	इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान का वितरण	
15.	(38)	पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता अनुदान का वितरण	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग पाण्डेय, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2020.